<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 6/33/2025-डीजीटीआर
मामला सं. एडी(ओआई)-30/2025
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 27 सितंबर, 2025

<u>जांच की शुरूआत की अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्याः -एडी (ओआई)-30/2025</u>

विषय: <u>सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सामान्य ब्यूटेनॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।</u>

1. फा.सं. **6/33/2025** -डीजीटीआर: दि आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता अथवा आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण., ताइवान और सऊदी अरब से 'सामान्य ब्यूटेनॉल' या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' (जिसे आगे संबद्ध सामान या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन से देश में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

> *"विचाराधीन उत्पाद सामान्य ब्यूटेनॉल है। सामान्य ब्यूटेनॉल एक प्राथमिक ऐल्कोहॉल है जिसकी संरचना 4-कार्बन और आणविक सूत्र सी4एच9ओएच है। सामान्य ब्यूटेनॉल यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से प्राप्त अम्ल-उपचार योग्य लैकर और बेकिंग फ़िनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्यूटेनॉल का एक बड़ा भाग कोटिंग उद्योगों और मुद्रण स्याही में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक, पॉलिश और क्लीनर में योजक, कपड़ा उद्योग में विलेय, बर्फ हटाने वाले तरल पदार्थों में योजक, गैसोलीन में एंटी-आइसिंग योजक, सेल्यूलोज़ नाइट्रेट के लिए ह्यूमेक्टेंट, ग्लाइकॉल ईथर और फ्लोटेशन एड्स (ब्यूटाइल ज़ैंथेट) के उत्पादन में फीडस्टॉक और ब्यूटाइल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट के उत्पादन के लिए आरंभिक सामग्री के रूप में भी किया जाता है।"*

4. सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से बने अम्ल-उपचार योग्य लैकर और बेकिंग फ़िनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक के रूप में किया जाता है। एन-ब्यूटेनॉल का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्नों में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग मुद्रण स्याही के लिए विलायक, दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक आदि के रूप में किया जा सकता है।

माप की इकाई

5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री एमटी में व्यक्त वजन के अनुसार की जाती है।

प्रशुल्क वर्गीकरण

6. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 2905 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 29051300 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जाँच के पक्षकार, जाँच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों *प्रथम दृष्टया* तकनीकी और वाणिज्यक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान आवेदन चीन, ताइवान और सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के संबंध में दायर किया गया है। हालांकि, डीजीसीआईएंडएस डेटा की जांच की गई है और पाया गया है कि चीन पीआर से संबंधित वस्तुओं के आयात की मात्रा नगण्य है और इसलिए चीन पीआर के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा रही है। इसी को देखते हुए ताइवान और सऊदी अरब को विषय देश माना जाता है।

घ. जाँच की अवधि (पीओआई)

10. प्रस्तावित जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि)

जांच की प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) और 1 अप्रैल 2021- 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 2022-31 मार्च 23 और 1 अप्रैल 2023-31 मार्च 24 तथा जांच की अवधि क्षति की अवधि के रूप में है। प्रस्तावित अवधि आवेदक के कार्य-निष्पादन की नवीनतम अवधि है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

11. वर्तमान आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, एक अन्य उत्पादक अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां आगे "बीपीसीएल" कहा गया है) है। आवेदक ने दावा किया है कि पिछली जाँच में, आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था। 2021 में बीपीसीएल ने भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया। अन्य उत्पादक ने न तो आवेदन-पत्र का विरोध किया है और न ही समर्थन किया है। यह भी अनुरोध है कि आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और नही संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध है।

12. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि आवेदक, अर्थात् आंध्र पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है तथा आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

(1) ताईवान और सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य

13. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, कानून घरेलू कीमतों, तीसरे देश के निर्यात मूल्यों, या उत्पादन की लागत और खर्च और मुनाफे के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। आवेदक ने बिक्री के लिए उचित वृद्धि, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। शुरुआत के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

(2) निर्यात कीमत

14. संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखानागत स्तर पर कीमतें निकालने के लिए उचित कीमत समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के तुलनीय हो सकें।

(3) पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संपर्क</u>

16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और यह स्थापित किया है कि विषय देशों से आयात किए जाने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है। आवेदकों ने दावा किया है कि चोट की अवधि के दौरान भारत में घरेलू उत्पादन और मांग दोनों के संबंध में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है। विषय देशों के लिए डंपिंग मार्जिन न्यूनतम और महत्वपूर्ण से अधिक है। आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, और कीमतों में वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा होता। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो चोट की अवधि में खराब हो गया है। पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबंधित देशों अर्थात् ताइवान और सऊदी अरब से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

17. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और तथाकथित पाटन और

क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क, के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा सऊदी अरब और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शल्क, जो यदि लगाए जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेजे जाने चाहिए और उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

20. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा-निर्धारित रूप में और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

21. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय-सीमा के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध कर सकता है,

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in पर नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच में आगे की प्रगति से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) नियमित रूप से देखते रहें और प्रश्नावली प्रपत्र, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएँ, और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पते ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली की व्याख्या के संबंध में सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए जिस तिथि को उसे प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को परिचालित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।

27. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग से दायर करने होंगे।

28. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को प्रस्तुत कोई भी अनुरोध, बिना ऐसे चिह्नों के, प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय रूपांतर में वे सभी सूचना शामिल होनी चाहिए जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक्ड आउट (जहाँ सूचीकरण संभव नहीं है) किया गया हो और वह सूचना उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। हालाँकि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पूरा और पर्याप्त स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सार क्यों संभव नहीं है।

31. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर या गोपनीयता के दावे पर उचित कारण विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय सार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफलता से जांच की शुरुआत की अधिसूचना की धारा एम के तहत कार्यवाही हो सकती है।

ढ. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा इस जांच संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उपयुक्त मानें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी